कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/लेखा/डी–2/28001/20–21/ दिनांकः 24.08.2020

जिला शिक्षा अधिकारी,
मुख्यालय (माध्यमिक),
पाली ।

अति आवश्यक

विषयः– अप्रचलित अनुपयोगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के नीलामी हेतु कमेटी गठित करवाने बाबत ।

प्रसंगः– जिशिअ/मु.मा.लेखा/पाली/20–21/121 दिनांक 11.08.2020

——

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा प्रासंगिक पत्र में अनुपयोगी सामान का पुस्तक मूल्य 9597004/– रूपये बताया है । इतनी बड़ी राशि की किताबें अनुपयोगी होने के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करावें :–

1. उक्त अनुपयोगी पुस्तकें कितने शैक्षणिक वर्षों से सम्बन्धित है, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अलग–अलग विवरण किताबों की कक्षावार, वर्षवार संख्या मय राशि से अवगत करावें ।
2. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की अनुपयोगी पुस्तकों का कक्षावार एवं विषयवार कितनी राशि की कितनी पुस्तकें अनुपयोगी है जानकारी उपलब्ध करावें ।
3 इतनी बडी राशि की पुस्तकें अनुपयोगी होने के क्या कारण रहे हैं ।
4. प्रत्येक शिक्षण वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या एवं विभागीय मानदण्डों के अनुरूप की गई मांग /क्रय करने के बारे में रिपोर्ट उपलब्ध करावें अर्थात आवश्यकता एवं विभागीय मानदण्डों से अधिक पुस्तकें क्रय/मांग न करने के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करावे ।
5. जिन शैक्षणिक सत्रों से सम्बन्धित अनुपयोगी अनुपयोगी पुस्तकें है उन शैक्षणिक सत्र में पूर्व वर्षों की अनुपयोगी पुस्तकें निस्तारण के सम्बन्ध में रिपोर्ट से अवगत करावें ।
6. यदि गत वर्षों की पुस्तकें आउट ऑफ कोर्स होने के कारण अनुपयोगी हुई है तो उन किताबों एवं उनकी क्रय लागत का पूर्ण विवरण उपलब्ध करावे ।
7. अनुपयोगी पुस्तकें पूरे जिले की है अथवा किसी एक, दो या अधिक ब्लॉक कार्यालयों से सम्बन्धित है उक्त जानकारी उपलब्ध करावें ताकि अनुपयोगी पुस्तकों के निस्तारण के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए दिशा निर्देश जारी किये जा सके ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर